SHRI RAJEEV SHUKLA: Mr. Chairman, Sir, what I would like to know from the hon. Minister is this. He has already accepted in his answer that there is a major problem in Uttar Pradesh and Bihar to cope with the polio menace. What I am told is that, and I want to get it confirmed from the Minister, there are certain religious bodies and orthodox elements who have launched a propaganda that because of the polio vaccination the children would get impotent. That is a major impediment as far as polio vaccination programme is concerned. Is it true? If yes, what steps have been taken to combat this propaganda?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Sir, it is true that we had problems in the past about some religious sects asking their children and mothers not to take these polio drops. There were rumours that it would cause impotency and sterlity. All these types of rumours are spread and immediately we ask the State Governments to take cognizance of this issue. In participation with the State Governments and Rotary organisations, we have been going door-to-door, village-to-village and block-to-block and discussing this with religious leaders. We have been using the advice and taking the help of the religious leaders of different religions and telling them that there is no problem around, and today we dont have much of this problem though there may be some sporadic cases.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: We are thankful to the Government that they are taking serious steps to eradicate polio in the country. Sir, there were some cases of deaths on oral polio in Assam.Due to these incidents, parents are hesitating to take their children to the polio booths in our State.The percentage of taking polio drops has become low. Sir, is the Government aware about the steps and what steps are taken by the Government?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Usually, there are no deaths attributed to the dispensation of oral polio drops and if there are any, immediately we have the National Polio Surveillance Projects called the NPSP. This is one of the largest surveillance projects in the entire world. NPSP has officers in all the States who would immediately go and notify if any case of death attributed to vaccine is there. We have not had any issues from Assam as well but since the hon. Member has said, we will definitely look into that issue and take necessary action.

गन्ना किसानों को बकाया राशि का भुगतान न किया जाना

*466. श्री वीर पाल सिंह यादव: श्री कमाल अख्तर:††

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कुपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) किसानों को गन्ना-मूल्य का पिछला बकाया क्यों नहीं मिल रहा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस बारे में कोई ठोस उपाय कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और ऐसे उपाय कब तक कर दिए जाएंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) केन्द्रीय सरकार चीनी मिलॉ द्वारा प्रत्येक चीनी मौसम के लिए गन्ना किसानों को देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस॰एम॰पी॰) का निर्धारण करती है। सांविधिक न्यूनतम मूल्य का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और संबंधित पणधारियों के साथ परामर्श करने के बाद किया जाता है और यह पूरे देश के लिए एक-समान होता है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार सहित कुछ राज्य सरकारें गर्ने का राज्य द्वारा सुझाया गया अपना मूल्य (एस॰ए॰पी॰) निर्धारित करती रही हैं जोकि आम तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक होता है। चीनी मौसम 2007-08 के लिए केन्द्रीय सरकार ने गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 9 प्रतिशत की रिकवरी पर 81.18 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है और 9 प्रतिशत से अधिक रिकवरी पर प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए 0.90 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम देने की व्यवस्था है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मौसम 2007-08 के लिए एस॰ए॰पी॰ की निम्नानुसार घोषणा की है:---

- (i) अनुमोदित किस्म 120 रुपये प्रति क्विंटल
- (ii) सामान्य किस्म 125 रुपये प्रति क्विंटल
- (iii) शीघ्र पकने वाली किस्म 130 रुपये प्रति क्विंटल

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार निर्धारित एस॰ए॰पी॰ को कुछ निजी चीनी मिलॉं/निजी चीनी मिल संघ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) ने अपने दिनांक 15 नवम्बर, 2007 के अन्तमिक आदेश द्वारा चीनी मौसम 2007-08 के लिए गन्ने की सभी किस्मों के लिए न्यायालय के अगले आदेश तक 110 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करने का निर्देश दिया है। चीनी मिलें माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश के अनुसार गन्ना मुल्य का भुगतान कर रही है।

इसी प्रकार, यद्यपि पिछले चीनी मौसम 2006-07 के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य 9 प्रतिशत की रिकवरी पर 80.25 रुपये प्रति क्विंटल था तथा इससे अधिक रिकवरी पर प्रीमियम देय था जैसाकि वर्तमान चीनी मौसम में है, तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने एस॰ए॰पी॰ 125 रुपये प्रति क्विंटल (सापान्य किस्म के लिए) निर्धारित किया था। यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीन था जिसने दिनांक 19 दिसम्बर, 2007 के अपने निर्णय में चीनी मौसम 2006-07 के लिए एस॰ए॰पी॰ निर्धारण संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18 जनवरी, 2008 के अपने अन्तरिम आदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को आस्थगित कर दिया है और दिनांक 27 फरवरी, 2008 के अपने अन्तरिम आदेश द्वारा चीनी मिलों को गन्ना मूल्य का भुशतान निम्नानुसार करने का निर्देश दिया हैं:

- (i) अस्वीकृत/अनुपयुक्त किस्म 115 रुपये प्रति क्विंटल
- (ii) सामान्य किस्म 118 रुपये प्रति क्विंटल
- (iii) शीघ्र पकने वाली किस्म 123 रुपये प्रति विवंटल

P

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि यदि एरूए॰पी॰ के प्रति कोई भुगतान किया गया है तो उपर्युक्त दरों के आधार पर देय राशि से इसका समायोजन किया जाएगा। यदि उपर्युक्त निर्धारित दर से अधिक राशि को कोई भुगतान किया गया है तो वर्तमान में कोई राशि वापस नहीं की जाएगी।

अत: 2006-07 और 2007-08 चीनी मौसमों के लिए गन्ने के मूल्य के भुगतान का मामला न्यायाधीन है।

(ख) गत चीनी मौसम 2006-07 के दौरान देश में चीनी के अधिक उत्पादन और वर्तमान चीनी मौसम 2007-08 के दौरान अधिक चीनी उत्पादन के आरम्भिक अनुमानों के कारण देश में चीनी के मूल्यों में काफी गिरावट आई है जिससे चीनी मिलों की गन्ना किसानों के गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान करने की क्षमता कम हुई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने गन्ना किसानों के गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान करने में चीनी उद्योग की सहायता करने के लिए कई उपाय किए हैं जिनका ब्यौरा विवरण-1 (नीचे देखिए) में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

चीनी उद्योग और गन्ना किसानों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा

(i) 1.5.2007 से 30.4.2008 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक का सुजन किया गया है।

(ii) 1.8.2007 से 31.7.2008 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक सुजित किया गया है। इन दोनों बफर स्टॉकों में चीनी विकास निधि से लगभग 880 करोड़ रुपये की वार्षिक सब्सिडी और लगभग 978 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बैंक ऋग अंतर्ग्रस्त है और इसका उद्देश्य चीनी के मूल्यों और स्टाक के मूल्य में गिरावट से प्रभावित चीनी मिलों की भुगतान क्षमता मैं वृद्धि करना है ताकि वे प्रथम प्राथमिकता के रूप में गन्ना मुल्य बकाया का भुगतान कर सकें।

(iii) 19.04.2007 से 18.4.2008 तक एक वर्ष की अवधि के लिए तटीय राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों के लिए 1350/- रुपये प्रति टन की दर से और गैर-तटीय राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों के लिए 1450/- रुपये प्रति टन की दर से (पड़ोसी देशों को सड़क/रेल द्वारा निर्यात के लिए वास्तविक व्यय के अध्यधीन) आंतरिक ढुलाई, विपणन और हैंडलिंग प्रभारों और समुद्री भाड़े पर हुए खर्च के भुगतान के लिए निर्यात सहायता देना। हाल में यह सुविधा 30.9.2008 तक बढ़ा दी गई है और इसमें चीनी विकास निधि से संहायता के रूप में अधिकतम 700 करोड़ रुपये की राशि अंतग्रेंस्त होने की संभावना है और इसका उद्देश्य पहली प्राथमिकता के रूप में गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करना है।

(iv) निर्यात के लिए रिलीज़ आदेश प्राप्त करने की अपेक्षा 31 जुलाई, 2007 से समाप्त कर दी गई है।

(v) सहकारी चीनी फैक्ट्रियों के सावधि ऋगों को पुनर्सरचित करने के लिए 2005 के नाबार्ड पैकेज का विस्तार किया गया है ताकि पहले पैकेज में शामिल न की गई सहकारी चीनी मिलों को पैकेज के लाभों को प्राप्त करने के लिए शामिल किया जा सके, 01 अप्रैल, 2007 को चीनी फैक्ट्रियों की बहियों में दर्शाए गए कयई और ढुलाई प्रभारों के खाते में बकाया ऋगों को ब्याज राहत के बिना अधिकतम पांच वर्ष के सावधि ऋगों में परिवर्तित किया जा सके और अधिकतम 10% प्रति वर्ष वाले पुनर्संचित सावधि ऋगों के लिए अधिकतम 3% ब्याज सब्सिडी प्रति वर्ष मुहैया कराने के लिए बजटीय सहायता 560 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये की जा सके।

(vi) चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 3800 करोड़ रुपये की एक ऋण स्कीम तैयार और क्रियान्वित की गई है ताकि 2006-07 तथा 2007-08 चीनी मौसमों के दौरान कुल चीनी उत्पादन पर देय सांकेतिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त नकदी सहायता मुहैया कराई जा सके जिसका उपयोग केवल क्रमश: 2006-07 तथा 2007-08 चीनी मौसमों के केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य से संबंधित गन्ना मूल्य बकायों/देय गन्ना मूल्यों का भुगतान के लिए किया जाना है। 1355 करोड़ रुपये की कुल ब्याज राहत का अनुमान लगाया गया है जो केन्द्रीय सरकार के बजट से वहन की जाएगी (अधिकतम 12% प्रति वर्ष ब्याज राहत में से 5% और चीनी विकास निधि से शेष 7% तक ब्याज राहत)। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने संबंधित चीनी फैक्ट्रियों को लगभग 2482 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त, 464 करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर बैंकों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(vii) पेट्रोल में इथनॉल के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित निर्णय किए हैं:-

- (क) जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्वी राज्यों और द्वीपीय प्रदेशों को छोड़कर अक्तूबर, 2007 से पैट्रोल में 5% इथनॉल का मिश्रण अनिवार्य रूप से करना और अक्तूबर, 2007 से 10% मिश्रण वैकल्पिक करना और अक्तूबर, 2008 से अनिवार्य करना।
- (ख) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा आपूर्ति किए गए इथनॉल का निकासी मूल्य अगले तीन वर्षों के लिए 21.50 रुपये प्रति लीटर का एक-समान खरीद मूल्य।
- (ग) चीनी फैक्ट्रियों को लोच प्रदान करने के लिए गन्ने के जूस से सीधे इथनॉल का उत्पादन करने की अनुमति देना।

(घ) जब अनिवार्य रूप से पेट्रोल में 5% के स्तर पर इथनॉल मिश्रण कार्यक्रम पूरी तरह से लागू हो जाए तब विगुणित एल्कोहल पर सीमा शुल्क 7.5% से घटाकर 5% करना तथा शीरे पर 10% से घटाकर 5% करना।

Non-payment of outstanding amount to sugarcane farmers

†*466. SHRI VEER PAL SINGH YADAV: SHRI KAMAL AKHTAR:††

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government is aware that farmers of Uttar Pradesh are not getting proper price of sugarcane;

(b) the reasons why farmers are not getting previous outstanding amount of sugarcane;

(c) whether the Central Government is taking any concrete measures in this regard;

(d) if so, the details thereof and by when such measures would be taken; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Central Government fixes the Statutory Minimum Price (SMP) of sugarcane payable by sugar mills to the sugarcane growers for each sugar season. The SMP is fixed on the basis of recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) and after consultations with the concerned stake holders and it is uniform for the whole country. However, some of the State Governments including the Government of U.P. have been fixing their own State Advised Price (SAP) of sugarcane which is generally higher than the SMP fixed by the Central Government. For 2007-08 sugar season, the Central Government fixed the SMP of sugarcane at Rs. 81.18 per quintal linked to 9% recovery subject to premium of Rs. 0.90 per quintal for every 0.1% increase in the recovery above 9%. However, the Government of U.P. announced the SAP for 2007-08 sugar season as under:—

(i)	Unapproved variety	-	Rs. 120 per quintal
(ii)	General variety	-	Rs. 125 per quintal
(iii)	Early variety	-	Rs. 130 per quintal

The SAP so fixed by the Government of U.P. was challenged by some private sugar mills/ Private Sugar Mills Association in the Allahabad High Court. The Hon'ble Allahabad High Court (Lucknow Bench) vide its interim order dated 15th November, 2007 has directed payment of Rs. 110 per quintal for all varieties of sugarcane for 2007-08 sugar season, subject to further order of the Court. Sugar mills are paying cane price as per the said interim order of the Hon'ble High Court.

Similarly, though the SMP for the previous 2006-07 sugar season was Rs.80.25 per quintal linked to 9% recovery with premium as in the current sugar season for higher recoveries, the Government of U.P. had fixed the SAP at Rs.125 per quintal (general variety). The matter was litigated in the Allahabad High Court, which in its judgement dated 19th December, 2007, quashed

[†] Original notice of the question was received in Hindi.

tt The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kamal Akhtar.

the order of the Government of U.P. fixing SAP for 2006-07 sugar season. However, the Hon'ble Supreme Court in its interim order dated 18th January, 2008 has stayed the said Allahabad High Court judgement and *vide* its interim order dated 27th February, 2008 has directed sugar mills to pay the cane price as under:

(i)	Declined/unsuitable variety	-	Rs. 115 per quintal
(ii)	General variety	-	Rs. 118 per quintal
(iii)	Early variety	-	Rs. 123 per quintal

The Hon'ble Supreme Court has also ordered that if any payment has been made towards SAP, the same shall be adjusted from the amounts payable on the basis of the rates indicated above. If any payment has been made beyond the rate fixed above, there would not be for the present any refund.

Thus, the matter relating to payment of cane price for 2006-07 and 2007-08 sugar seasons in U.P. is sub-judice.

(b) Due to high level of sugar production in the country during the last sugar season 2006-07 and the initial estimates of high sugar production during the current sugar season 2007-08, sugar prices in the county declined considerably which has constrained the capacity of the sugar mills to pay cane price to sugarcane growers in time.

(c) and (d) In order to help the sugar industry to clear the cane price arrears of sugarcane farmers, the Central Government has taken a slew of measures, the details of which are enclosed at Statement-I (*See* below).

(e) Does not arise.

Statement-I

Details of steps taken by the Central Government to help the sugar industry and sugarcane farmers

- (1) A buffer stock of 20 lakh tons for one year created for the period 01.05.2007 to 30.04.2008.
- (ii) A buffer stock of 30 lakh tons created for the period 01.08.2007 to 31.07.2008. The two buffer stocks involve annual subsidy of about Rs. 880 crore from the Sugar Development Fund (SDF) and additional bank credit of about Rs. 978 crore, and is aimed to enhance liquidity of sugar mills affected by decline in prices of sugar and stock value, for clearing cane price arrears as first priority.
- (iii) Export assistance to defray expenditure on transport, marketing and handling charges and ocean freight @ Rs. 1.350/- per ton for sugar factories in coastal States and Rs. 1.450/- per ton for those in non-coastal States subject to actuals by road/rail for export to the neighbouring countries, has been provided for one year from 19.04.2007 to 18.04.2008. The facility has been recently extended upto 30.09.2008 and is likely to involve maximum amount of Rs. 700 crore as assistance from SDF, and is aimed for clearing cane price arrears as first priority.
- (iv) The requirement of Release Orders for exports has been dispensed with from 31.07.2007.
- (v) The NABARD package of 2005 for restructuring of term loans of co-operative sugar factories has been expanded to include cooperative sugar factories not included earlier to avail the benefits, convert outstanding loans on account of harvesting and transport charges appearing in the factories' accounts as on 01.04.2007 upto maximum five years term loans without

14 Oral Answers

[RAJYA SABHA]

*

interest subvention and enhancing budgetary support from Rs. 560 crore to Rs. 600 crore to provide maximum 3% per annum interest subsidy for restructured term loans carrying an interest cap of 10% per annum.

(vi) A loan scheme of about Rs. 3800 crore to extend financial assistance to sugar undertakings has been formulated and implemented to provide additional liquidity support to the extent of notional excise duty on production of sugar in 2006-07 and 2007-08 sugar seasons exclusively earmarked for cane arrears/dues of 2006-07 and 2007-08 sugar seasons respectively relatable to SMP fixed by the Central Government. The total interest subvention estimated at about Rs 1355 crore is to be borne from the Central Government budget (5% out of the maximum 12% p.a. interest subvention and balance upto 7% p.a. from the SDF). As per information received from National Bank of Agricultural and Rural Development (NABARD) and other scheduled commercial banks a sum of about Rs. 2482 crores has been sanctioned by them to concerned sugar factories. Further the proposals amounting to Rs. 464 crores are under process with the banks.

(vii) To promote Ethanol Blending with Petrol (EBP), the following have been decided:

- (a) 5% ethanol blending made mandatory from October, 2007 with 10% blending being made optional from October, 2007 and mandatory from October, 2008 except in Jammu & Kashmir, North-Eastern States and Island territories.
- (b) Uniform Purchase Price of Rs. 21.50 per litre ex-factory for ethanol supplied by sugar factories for next three years.
- (c) Permitting sugar factories to produce ethanol from sugarcane juice directly to give flexibility to sugar factories.
- (d) Reduction in customs duty from 7.5% to 5% for denatured alcohol and from 10% to 5% on molasses when EBP programme at 5% level is fully operationalized.

श्री कमाल अख्तर: चेयरमैन सर, पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है कि जो जवाब आते हैं, क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है और जवाब कुछ और होता है। इसमें आपका संरक्षण भी हम लोगों को नहीं मिलता और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप सवाल पुछिए।

श्री कमाल अख्तर: सर, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। इतने सीनियर मिनिस्टर हैं...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री कमाल अख्तर: देश के इतने बड़े नेता हैं, लेकिन हमने इसमें पूछा कि उत्तर प्रदेश के किसानों को उनके गने का उचित मूल्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? किसानों के गन्ना मूल्य का पिछला बकाया मिला या नहीं मिला, लेकिन कहीं भी इसका जवाब नहीं है। इतनी चीनी इकट्ठी हुई, इतना आयात हुआ, इतना निर्यात हुआ, जवाब में यह है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण गन्ने की खेती है। आपने विदर्भ को पैकेज दिया, महाराष्ट्र को पैकेज दिया, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गन्ने के किसानों को बिलकुल मूल्य नहीं मिला, तेल की कीमत बढ़ गई, मज़दूरी बढ़ गई, सारी चीज़ें बढ़ गई, लेकिन उत्तर प्रदेश को सरकार कोर्ट में चली गई और गन्ने का मूल्य है 110 और मुलायम सिंह जी के जमाने में 130 था, लेकिन केंद्र मरकार ने न तो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को कोई पैकेज दिया, न सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हू कि केंद्र सरकार की कोई योजना है कि आने वाले सालों में लागत के हिसाब से गन्ना किसानों को मूल्य मिले और उनका जो बकाया भुगतान है, वह हो जाए? SHRI SHARAD PAWAR: Up to 21st April, 2008, the total cane price arrears of year 2006-07 was Rs. 1,015 crores and out of that, an amount has been paid in crores and actually the amount which has not been paid till 21st is Rs. 324 crores. So, substantial amount has been already paid. The problem of Uttar Pradesh is altogether different from any other State. The Government of India on the recommendation of CACP had taken a final decision about the fixation of the price of cane and that price has been practically implemented by most of the States in the country. Uttar Pradesh Government has introduced their own price called the State Advisory Price. So, the State Advisory Price is always over and above whatever the price has been fixed for the whole country and this difference is because of that. This particular matter has gone to the court, the matter is before the court, matter is sub-judice and that is why whatever possible information we had to give, we have given here.

श्री कमाल अख्तर: महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विगत तीन साल में कितनी चीनी का आयात किया गया और यह आयात किन-किन देशों से और किस मूल्य पर किया गया? देश में गन्ना किसानों को किस दर से भुगतान किया गया? अगर किसानों को आयात दर से कम दर पर भुगतान किया गया है, तो वह क्यों किया गया, यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री शरद पवार: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि चीनी आयात नहीं की गयी है। So far, we have not imported any sugar from abroad.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सभापति महोदय, पहले तो में केन्द्रीय मंत्री और सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि लागत मूल्य बढ़ने की दृष्टि में रखते हुए अभूतपूर्व रूप से उन्होंने गेहूं और धान की पैदावारों को समर्थन मूल्य को वृद्धि की है जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिला है। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि इस देश में जो कृषि क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है, उसमें सबसे बड़ा रकबा, तीसरा नम्बर अगर किसी चीज़ का है तो वह गन्ना है। मैं बिना लाग-लपेट के, बिना भूमिका के सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रश्न यह है कि इस वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्रीय कृषि मूल्य आयोग ने जो अपनी सिफारिशें गन्ने के मूल्य के लिए की हैं, वे क्या हैं और क्या सरकार उस सिफारिश को स्वीकार कर रही है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

श्री शरद पथार: महोदय, पहले तो मैं यह साफ करना चाहता हूं कि चाहे चावल हो, व्हीट हो या गन्ना हो, जो प्राइस भारत सरकार ने स्वीकार को है, एक्सेप्ट की है या अनाउंस की है, वह सीएसीपी की गाइडलाइन्स के मुताबिक, रिकमेंडेशन के मुताबिक को है इसमें कोई फर्क नहीं है। जहां तक अगले साल की बात यहा पर की गयी, इस समय 91 rupees has been recommended by the CACP and their proposal.. (Interruptions)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सर, मैं आपका संरक्षण चाह रहा हूं।

श्री सभापतिः आप पूरा जवाब सुन लीजिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: मैं संरक्षण यह चाह रहा हूं कि मैंने सीधा प्रश्न यह पूछा कि सीएसीपी ने वर्ष 2008-09 के लिए **किस मूल्य की सिफारिश की है, यह मैं** पूछ रहा हूं। ये कितनी दे रहे हैं, यह मैं नहीं पूछ रहा।

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Minister finish his reply.

श्री शरद पवारः सर, 91 रुपए की रिकमेंडेशन उन्होंने की है जिसको स्वीकार किया है, अनाउंसमेंट हुई है।

श्री अमर सिंह: आदरणीय कृषि मंत्री जी, आप सच बोलने के लिए मशहूर हैं। लोक सभा में एक बहस के दौरान ...(व्यवधान)...मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं फिर भी उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? लोक सभा में बहस के दौरान आपने माना कि उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र से भी आगे हो गया है और बीस हजार करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में हुआ है। आज स्थिति यह है कि किसान गन्ने की फसल को खड़े-खड़े जला रहे हैं क्योंकि उसको काटने की मजदूरी देने की भी उनकी स्थिति नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए आपके दिल में बड़ा प्यार है, भले ही कोऑपरेटिव मूवमेंट के किसान हों या सामान्य किसान हों। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप बताएंगे कि चीनी मिलों के लिए इंटरस्ट फ्री लोन – जिस तरह से आप इंडस्ट्री को, `बड़े बड़े corporate tycoons को सब्सिडी देते हैं – वह देने की कोई योजना है ताकि यह जो कई सौ करोड़ रुपए का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते प्रोटेक्शन बड़े-बड़े धन्ना सेठों को मिला हुआ है, कोऑपरेटिव, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को इंटरस्ट फ्री लोन आप इंडस्ट्री की तर्ज पर देने के लिए तैयार हैं या नहीं? इसके अतिरिक्त 2007-08 में किसानों को क्या बफर सब्सिडी देने की आपकी योजना है? जो किसान है, जो अन्नदाता है, उसको अपने फसल को खड़े-खड़े जलाना नहीं पड़े जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल जलाई जा रही है। आपने स्वयं माना है कि तीन-चार सौ करोड़ रुपए बाकी है। बीस हजार करोड़ रुपए मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में भुगतान हो जाता है और एक साल बाद कई सौ करोड़ रुपया बाकी रह जाता है। ऐसा कौन सा गुणात्मक परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आ गया कि पिछले दिनों बीस हजार करोड़ का भगतान और अब तीन सौ करोड बकाया हो गया है?

श्री शरद पंवार: सर, मैंने शरु में ही साफ किया कि जो भारत सरकार ने प्राइस तय की थी और परे देश ने जिसको स्वीकार किया, इससे ज्यादा प्राइस स्टेट गर्वनमेंट ने वहां अनाउंस किया है। वह प्राइस जो अनाउंस किया, इसके खिलाफ वहां की चीनी मिलें कोर्ट में गयीं कोर्ट ने पहले स्टे दे दिया और बाद में जो सरकार ने अनाउंस किया. उससे कम कीमत देने के ऑडर्स कोर्ट ने दिए हैं। वह मामला कोर्ट में पैंडिंग है। जहां तक बाकी सुविधाएं देने की बात है. यह बात सच है कि पिछले दो साल, स्पैशली पिछले साल वहां चीनी का उत्पादन बहुत अधिक हुआ है, पुरे देश में हुआ है. देश की जो जरूरत है, उससे ज्यादा हुआ है। इसलिए मार्केट में प्राइसेज कम हो गए। यहाँ ही कम नहीं हुए, परी दनिया में कम हो गए। इस कारण किसानों को कीमत देने की एक परिस्थिति पैदा होनी चाहिए, इसलिए कछ कटम सरकार ने उठाए हैं। पहला कदम यह उठाया कि जितनी ज्यादा चीनी थी इसके दो हिस्से में से 50 लाख टन चीनी सरकार ने बफर स्टॉक में रखी और इसका इंटरेस्ट तथा बाकी जो चार्जेज हैं. वह सरकार ने बदले का प्रबंध किया और मिल को थ्र स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट निर्देश यह दे दिया कि यह जो पैसे का उनका सेविंग हो रहा है, वह किसानों का भगतान करने के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे, जो ज्यादा चीनी यहां तैयार हो गई है, वह भारत के बाहर भेजने की आवश्यकता है और इसमें जो नुकसान होता है वह नुकसान कंपंसेट करने के लिए एक हजार चार सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल की भारत सरकार ने सब्सडी दे दी, इसमें भी गाइड-लाइंस यह दे दी कि इससे जो मिल का फायदा हो जाएगा वह किसानों को भगतान करने के लिए देने की आवश्यकता है। तीसरी बात है कि हर बैंक को जो हम एक्साइज डयुटी कलैक्ट करते हैं, यह एक्साइज डयुटी की दो साल की एमाउंट इंटरेस्ट फी, दी है इस काम के लिए कि किसानों की कीमत देने के लिए यह सब कदम पिछले साल सरकार ने उठाए हैं और इसलिए जो भुगतान करने की आवश्यकता थी इनमें से अभी 324 करोड़ बाकी है। बाकी एमाउंट उन्होंने दी है। फिर भी यह कीमत देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, शुगरकेन कंट्रोल आर्डर के मुताबिक 14 दिन में गन्ना सप्लाई करने के बाद कीमत चीनी मिल ने नहीं दी तो हर कलक्टर को अधिकार दिए गए हैं जिसमें वे इनके खिलाफ सख्ती से कोई कदम उठाने का, उनका माल जब्त करने का, उनकी जमीन या फैक्टरी पर कार्रवाई करके पैसे देने के, यह सब अधिकार दिए हैं। इस पर राज्य सरकार को अमल करने की आवश्यकता है।

श्री अमर सिंह: सर, आपका प्रोटक्शन चाहिए। सर, हमारा यह कहना है कि बड़े-बड़े कारखानेदारों को, डमियों को फर्टिलाइजर बनाने पर, खाद बनाने पर सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी इसलिए दी जाती है ताकि किसानों को खाद सस्ती मिले। कारखानों की बेलेंस शीट और टर्न ओवर बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उस सब्सिडी का लाभ किसानों को नहीं मिलता है। आपने इतनी योजनाएं बनाई हैं। क्या आप कोई ज्वाइंट मकेनिज्म बना रहे हैं कि सारी छूट, सारी सब्सिडी कारखानेदारों की और मालिकों की तिजोरी के बजाए किसानों की जेब में जाए और वे विदर्भ की तरह आत्म-हत्या नहीं करें?

श्री शरद पवार: सिम्पल बात यह है कि गन्ना चीनी मिल को सप्लाई होता है, सरकार को सप्लाई नहीं होता है। इसलिए जहां गन्ना सप्लाई होता है, वहीं से पैसे देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो चीनी तैयार करते हैं वह भी मिलों के पास आती है, वह सरकार के पास नहीं आती है। जैसा मैंने कहा कि मार्केट में एक बुरा असर हो गया इसलिए पैसे देने की ताकत नहीं थी इसलिए सब्सिडी दी और इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। ये सब पैसे देने के बाद जो कोई सुविधा दी है, इसका लाभ किसानों को ही मिलना चाहिए, इस तरह के आर्डर्स हर राज्य सरकार के थ्रू हर चीनी मिलों को दिए और देश के बहुत से राज्यों में इस पर अमल हो रहा है। यहां मामला कोर्ट में गया और जो कीमत हमने तय की, इससे भी ज्यादा कीमत राज्य सरकार ने तय की और जो शुगरकेन कंट्रोल आर्डर में राज्य सरकार को अधिकार दिया है, इस पर अमल होने की और करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। श्री अमर सिंह: सर, आप कानून क्यों नहीं बनाते। जो मिल मालिक पैसा नहीं दे रहा है उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते. इसका कानन बनाइए। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: No further discussion on this. ...(Interruptions)... You have already put your question. ...(Interruptions)...

श्री शरद पवार: मैंने यह कहा कि कानून के इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

PROF. P.J. KURIEN: Sir, though the question pertains to the Uttar Pradesh sugarcane growers, get the hon. Minister, in his reply, has stated that the SMP is applicable to all the States and it is uniform for the whole country. Therefore, my question falls within the ambit of this question. I would like to know whether the hon. Minister is aware of the fact that in the State of kerala large areas of land, where sugarcane and paddy can be cultivated, is lying idle because of the fact that prices are not remunerative and also because of the fact that labour is very costly and the labour is not cooperative. Dies he also know that even paddy, which used to be grown widely, is not being harvested because mechanisation is not being allowed? If the hon. Minister is aware of these fact what action does he contemplate to take in order to ensure that sugarcane is grown in those areas where it can be grown, and also the problem of paddy is solved? Will the hon. Minister take some steps in this regard? If 'Yes', what steps is he going to take?

SHRI SHARAD PAWAR: Mr. Chairman, Sir, I can tell about sugarcane because the question is about sugarcane. So, I cannot reply about paddy. I have some knowledge. But, this question is restricted to sugarcane only. Kerala is not, essentially, a sugar-producing State. Very limited sugarcane has been produced there. That is why, problems like payment for surplus cane etc. which are there in U.P. or some other States don't exist in kerala at all.

MR CHAIRMAN: Q. No. 467. ...(Interruptions) ...

DR. KARAN SINGH: Sir, I have a submission to make.

MR CHAIRMAN: Yes.

DR. KARAN SINGH: Sir, a question has been asked by the hon. Member. And, that hon. Member is present in the House. Is it open to the hon. Member not to put the question or is it essential that he should put the question? What is your ruling on this?

MR CHAIRMAN: The hon. Member is not registering his presence in the House with regard to the procedure for asking the question. In that case, the Chair has no option but to assume that the hon. Member is not present in the House for the purpose of Question Hour.

*467[The questioner (Shri S.S. Ahluwalia) was absent. For answer vide page 27 infra.]

*468[The questioners (Shri Raj Mohinder Singh Majitha and Dr. Murli Manohar Joshi) were absent. For answer vide page 27 infra.]

Buffer stock for emergency situations

*469. SHRI VIJAY J. DARDA: SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA:††

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government has decided to form a strategic reserve of five million tonnes of foodgrains in addition to the buffer stock to meet emergency situations;

(b) if so, the details thereof;

^{††} The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Shobhana Bhartia